

4-6-18 पकावली आज सिंगल कोर्ट मण्डाकरा में
पेश हुई। उक्त रई संबंधित वाद पत्र कारिका
के पुराने प्रपत्र बाबत अस्थाई विधेदाशा
का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रपत्र बाबत
अस्थाई विधेदाशा को खारीज दिया जाता है।
पकावली फौजदारी अदालत कोकर नगर सिंगल
है तथा बाकील प्रपत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (सिगल)